



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082021-228961
CG-DL-E-13082021-228961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3025]
No. 3025]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

का.आ. 3265(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में NH731A के कि.मी. 0 से कि.मी.35 (प्रतापगढ़) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी / मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में NH731A के कि.मी. 0 से कि.मी.35 (प्रतापगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: प्रतापगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कुंडा					
गांव का नाम: औतारपुर					
1	1110	सरकारी	तालाब	0.0026000(हेक्टेयर)	0.0026000
2	1111	सरकारी	तालाब	0.0205000(हेक्टेयर)	0.0205000
3	58	निजी	कृषि	0.0666000(हेक्टेयर)	0.0666000
गांव का नाम: बूढ़ेपुर					
1	1	निजी	जलमग्न	0.1821000(हेक्टेयर)	0.1821000
2	2	निजी	कृषि	0.0293000(हेक्टेयर)	0.0293000
गांव का नाम: छेवंगा					
1	252	सरकारी	नदी	0.0246000(हेक्टेयर)	0.0246000
2	253	निजी	कृषि	0.0311000(हेक्टेयर)	0.0311000
3	254	निजी	कृषि	0.0323000(हेक्टेयर)	0.0323000
4	277	निजी	बंजर	0.0206000(हेक्टेयर)	0.0206000
5	278	निजी	कृषि	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
तालुक का नाम: लालगंज					
गांव का नाम: देवापुर सकली					
1	5	सरकारी	सड़क	0.0172000(हेक्टेयर)	0.0172000
गांव का नाम: नौबस्ता					
1	43	निजी	कृषि	0.0307000(हेक्टेयर)	0.0307000
2	44	निजी	कृषि	0.5867000(हेक्टेयर)	0.5867000

3	46	निजी	कृषि	0.7906000(हेक्टेयर)	0.7906000
4	48	निजी	कृषि	0.1295000(हेक्टेयर)	0.1295000
गांव का नाम: रेडी					
1	765	निजी	कृषि	0.1310000(हेक्टेयर)	0.1310000
2	766	निजी	कृषि	0.4252000(हेक्टेयर)	0.4252000
3	767	निजी	बंजर	0.2062000(हेक्टेयर)	0.2062000
कुल				2.7283	2.7283

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2021

S.O. 3265(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH731A in the stretch of land from Km 0 to Km35 (CE-RO-OFFICE PRATAPGARH) in the district of PRATAPGARH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority/ Chief Revenue Officer, Pratapgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH731A in the stretch of land from NH731A (CE-RO-OFFICE PRATAPGARH) in the district of PRATAPGARH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH		District: PRATAPGARH			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kunda					
Village: Autarpur					
1	1110	Government	Pond	0.0026000(Hectare)	0.0026000
2	1111	Government	Pond	0.0205000(Hectare)	0.0205000

3	58	Private	Agricultural	0.0666000(Hectare)	0.0666000
Village: Boodhepur					
1	1	Private	Submerged	0.1821000(Hectare)	0.1821000
2	2	Private	Agricultural	0.0293000(Hectare)	0.0293000
Village: Chhewanga					
1	252	Government	River	0.0246000(Hectare)	0.0246000
2	253	Private	Agricultural	0.0311000(Hectare)	0.0311000
3	254	Private	Agricultural	0.0323000(Hectare)	0.0323000
4	277	Private	Barren	0.0206000(Hectare)	0.0206000
5	278	Private	Agricultural	0.0015000(Hectare)	0.0015000
Taluk: Lalganj					
Village: Devapur Sakli					
1	5	Government	Road	0.0172000(Hectare)	0.0172000
Village: Naubasta					
1	43	Private	Agricultural	0.0307000(Hectare)	0.0307000
2	44	Private	Agricultural	0.5867000(Hectare)	0.5867000
3	46	Private	Agricultural	0.7906000(Hectare)	0.7906000
4	48	Private	Agricultural	0.1295000(Hectare)	0.1295000
Village: Redee					
1	765	Private	Agricultural	0.1310000(Hectare)	0.1310000
2	766	Private	Agricultural	0.4252000(Hectare)	0.4252000
3	767	Private	Barren	0.2062000(Hectare)	0.2062000
Total				2.7283	2.7283

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3A]

RAJESH GUPTA, Director